रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273980
CG-DL-E-01072026-273980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 482] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

सा.का.नि. 540(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्ररूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 27(अ), तारीख 20 मार्च, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं, से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए 24 मार्च, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थीं; और उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं मिले हैं।

अत:अब,केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 126ड. में, उपनियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) उपर्युक्त उप-नियम (2), (4) और (7) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, 1 अक्तुबर, 2027 को और उसके पश्चात्, उन उप-नियमों के अधीन निर्धारण या मूल्यांकन के लिए लागू मानक समय-समय पर संशोधित एआईएस-197 (पुनरीक्षण 1) के अनुसार होंगे ।"

3.उक्त नियमों के, प्ररूप 70क में, 1 अक्तुबर, 2027 को या उसके पश्चात् "एआईएस-197"अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "एआईएस-197 (पुनरीक्षण 1)"अक्षर, अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11036/76/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद , अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 458(अ), तारीख 8 जून, 2026 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

G.S.R. 540(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 27 (E), dated the 20th March, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th March, 2026;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 126E, after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(10) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (4) and (7) above, on and after the 1st day of October, 2027, the applicable standard for the assessment or evaluation under those sub-rules shall be as per AIS-197 (Revision 1), as amended from time to time."

3. In the said rules, in Form 70A, on and after the 1st day of October, 2027, for the letters and figures "AIS-197", the letters, figures, word and brackets "AIS-197 (Revision 1)" shall be substituted.

[F. No. RT-11036/76/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide number* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 458(E) dated the 8th June, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA